



कार्यालय महाप्रबन्धक (कार्मिक), पूर्वोत्तर रेलवे/गोरखपुर -273012
Office of the General Manager (P), N. E. Railway Gorakhpur-273012

कमांक-40

आर.बी.ई. सं.- 04 / 2021


मिसिल सं. E/227/2/Part-16/IV

दिनांक 27.05.2021
.05.2021


सचिव/महाप्रबन्धक
सचिव/अपर महाप्रबन्धक
सभी विभागाध्यक्ष
सभी मण्डल रेल प्रबन्धक
सभी कार्मिक अधिकारी
सभी मुख्य कारखाना प्रबन्धक
सभी अतिरिक्त मण्डलाधिकारी/स्थापना

विषय :- मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थानों में अनुदेशकों के पद को भरने हेतु एक समान दिशा-निर्देश ।

रेलवे बोर्ड का पत्र E(NG)I/2017/PM 1/11 Dated 13-01-2021 की प्रतिलिपि सूचना,
मार्ग दर्शन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।
संलग्नक/यथोपरि


(बसन्त लाल)
वकाधि/आर.पी.
कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
1) महामंत्री/एन.ई. रेलवे मजदूर यूनियन/गोरखपुर ।
2) महामंत्री/प्रमोटी अधिकारी संघ/पूर्वोत्तर रेलवे/गोरखपुर ।
3) पूर्वोत्तर रेलवे प्रथम श्रेणी अधिकारी संघ/गोरखपुर ।
4) महामंत्री/एस.सी./एस.टी. एवं ओबीसी एशोसियेशन/गोरखपुर ।


कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

एनजीओ/आरबी/सी/एनजीओ
21.01.21

आरबीई. सं. 04/2021

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA)
रेल मंत्रालय / MINISTRY OF RAILWAYS)
(रेलवे बोर्ड / RAILWAY BOARD)

सं. ई(एनजी)/2017/पीएम 1/11

नई दिल्ली, दिनांक 13.01.2021

महाप्रबंधक (कार्मिक)
सभी क्षेत्रीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां
(मानक डाक सूची के अनुसार)

विषय: मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थानों में अनुदेशकों के पद को भरने हेतु एकसमान दिशानिर्देश।

आपका ध्यान उक्त उल्लिखित विषय पर बोर्ड के दिनांक 13.05.2019 के समसंख्यक पत्र में अंतर्विष्ट अनुदेशों की ओर आकृष्ट किया जाता है जिसके तहत अन्य बातों के साथ-साथ अनुदेशकों की आयु सीमा और कार्यकाल निम्नानुसार निर्धारित किए गए हैं:

- i) अधिसूचना की तारीख को अधिकतम आयु सीमा 52 वर्ष हो।
- ii) प्रशिक्षण संस्थान में न्यूनतम 3 वर्ष और अधिकतम 8 वर्ष।

प्रशिक्षण संस्थानों में अनुदेशकों की उक्त उल्लिखित आयु सीमा और कार्यकाल की बोर्ड द्वारा समीक्षा की गई है और यह विनिश्चय किया गया है कि अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष होगी और कार्यकाल 5 वर्ष का होगा।

कृपया पावती दें।

डी. जोसफ

(डी. जोसफ)

संयुक्त निदेशक/ स्था. (एन)

रेलवे बोर्ड

22/1/21

क